



Neutral Citation No. - 2026: AHC:25028

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2768/2026

विधान चंद्र उपनाम विधान चंद्र आर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: अजय कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- 1.आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मामले की तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अन्तर्गत सूचनाकर्ता/पीड़िता ने इस आशय से आवेदन किया था कि सह-आरोपी अंशुल केसरी के बहकावे में आकर उसने कंपनी लोनी अर्बन, मल्टी-स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साहिबाबाद, गाजियाबाद में 1,10,000 रुपये का निवेश किया था और बाद में जब पीड़िता ने उससे यह राशि वापस मांगी, तो अंशुल केसरी ने सूचनाकर्ता/पीड़िता से घनिष्ठ संबंध बना लिए और एक समझौता भी किया जिसे पीड़िता को सौंप दिया गया। उसने एक जाली सावधि जमा प्रमाणपत्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भी जारी किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पीड़िता को अंशुल केसरी के घर बुलाया गया जहां अन्य आरोपी भी उपस्थित थे। उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और जिसमें कुछ नशीला पदार्थ भी मिलाया गया था। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वह बेहोश हो गई और सभी आरोपियों ने बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। जब पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित नहीं की, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया गया और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार, पर मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है और उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन के अनुसार धोखे से पांच लाख रुपये लिए गए थे लेकिन यह तथ्य झूठा है। आवेदक का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि पीड़िता ने सामूहिक बलात्कार का दावा किया है लेकिन अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभी तक कोई अश्लील तस्वीर या वीडियो प्राप्त नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आर्थिक विवाद को आवेदक के आपराधिक अभियोजन में घसीटा गया है और आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी कृष्ण कुमार चौरसिया और अंशुल केशरी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2026 और 08.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 44149 सन् 2025 और 293 सन् 2026 में पारित आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, जिनकी प्रतियां इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं और अभिलेख में अभिलिखित की गई हैं। अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने के लिए कई अन्य तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपियों को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि वह विधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह यह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 04.11.2025 से जेल में है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **विधान चंद्र उपनाम विधान चंद्र आर्य**, जो भारतीय नागरिक संहिता की धारा 318(4), 123, 70(1), 351(2), 61(2) के अन्तर्गत मामला संख्या 260 सन् 2025 में आरोपी हैं, थाना राम नगर, जिला वाराणसी, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो भारी स्थानीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, डॉ. गौतम चौधरी)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"